



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 137-2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 1, 2022 (SRAVANA 10, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अगस्त, 2022

संख्या 2/20/2016-1पर्या.— जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से परामर्श के बाद, इसके द्वारा, हरियाणा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) नियम, 1978 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) ये नियम हरियाणा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) संशोधन नियम, 2022 कहे जा सकते हैं।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- हरियाणा जल (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) नियम, 1978 में, नियम 23 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (अ) में, उप खण्ड (i) में, “सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश” शब्दों के स्थान पर, “सेवारत या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

ए. के. सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT****Notification**

The 1st August, 2022

No. 2/20/2016-1Env.— In exercise of powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act 6 of 1974), the Governor of Haryana, after consulting the Haryana State Pollution Control Board, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1978, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Rules, 2022.
- (2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Haryana Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1978, in rule 23, in sub-rule (1), in clause (A), in sub-clause (i), for the words “retired District and Session Judge”, the words “sitting or retired Judge of High Court” shall be substituted.

A. K. SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Environment & Climate Change Department.